11 JAN 2019

नव भारत टाइम्स

सामने आए 40 प्रतिशत मवेशियों के मालिक

■ एनबीटी, बाराबंकीः सरकार की ओर से छुट्टा मवेशियों को पकड़कर सुरक्षित स्थलों पर भेजने के डेडलाइन के अंतिम दिन गुरुवार को प्रशासन की नींद टूटी। पहले दिन घुमते हुए पशुओं को पकड़ने के अभियान के दौरान दिलचस्प नजारे भी सामने आए। जब लोगों ने पकड़े गए छुट्टा पशुओं को अपना पालतु बताते हुए उसकी रिहाई के लिए मिन्नते करते नजर आए।

अभियान के दौरान काफी संख्या में छुट्टा पशुओं को उनके मालिक उन्हें अपने घरों के आसपास बांधते नजर आए। तीन को टीम ने चेतावनी के साथ रिहा किया। नगर व हैदरगढ़ में सात पशुओं को पकड़कर सुरक्षित स्थलों पर पहुंचाया। नगर पालिका परिषद नवाबगंज की ओर से नगर के जिन्हौली में अस्थाई गौ संरक्षण केंद्र तैयार कर संचालन शुरू किया है। पहले दिन यहां पर पांच गोवंशी लाए गए। इसमें तीन साड़ व दो गाय हैं। इसी प्रकार हैदरगढ़ तहसील के जमीन हुसैनाबाद में सात हेक्टेअर जमीन पर गौ संरक्षण केंद्र खोला गया है। यहां पर दो छुट्टा गौवंशीय पशु लाए गए।

पकड़े गए मवेशियों को छुड़वाने के लिए पहुंचे उनके मालिक।

दोबारा छुट्टा मिले तो वसूला जाएगा जुर्माना

नवाबगंज की ईओ संगीता कुमारी ने बताया कि भविष्य में ऐसे छुट्टा मिले उनके मालिकों से जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि छुट्टा मवेशियों को अस्थाई गो संरक्षण केंद्र में रखा जाएगा। देखरेख की जिम्मेदारी एक केयरटेकर संस्था को दी गई है। इन पशुओं की टैगिंग की जा रही है। इधर, प्रशासन ने ग्रामीणांचल में 37 स्थानों पर जमीन की तलाश कर ली है। उनमें से 29 स्थानों पर निर्माण का कार्य तेजी से शुरू किया गया है।

11 JAN 2019

नव भारत टाइम्स

'पशुचर की भूमि पर फिर अवैध कब्जा'

■ एनबीटी, निगोहांः बघौना गांव के किसानों ने पशुचर की 10 बीघा जमीन से अवैध कब्जा खाली करवाने के लिए एसडीएम से शिकायत की है। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त भूमि को एक वर्ष पूर्व एंटी भूमाफिया टीम ने खाली करवाया था। इस पर फिर से कब्जा कर लिया गया है। इससे इन जमीनों पर पशुबाड़ा बनाए जाने में अड़चने पैदा हो रही है। इस संबंध में एसडीएम मोहनलालगंज सूर्यकांत त्रिपाठी ने बताया कि तत्काल जांचकर उक्त जमीन को खाली कराया जाएगा। कब्जा करने वालों पर केस दर्ज करवाया जाएगा।

11 JAN 2019

अमर उजाला

अवैध कब्जा हटाने के बाद बाउंड्रीवॉल जरूरी

लखनऊ। अवैध कब्जेदारी में फंसी सरकारी व ग्राम समाज के स्वामित्व की जमीन को कब्जामुक्त कराने के बाद बाउंड्रीवॉल बनवाना जरूरी होगा। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ चल रही सुस्त कार्रवाई से नाराज डीएम ने पांचों एसडीएम संग तहसीलदारों व तहसीलदार (न्यायिक) को चेताया कि आरोपियों के खिलाफ बेदखली कार्रवाई के बाद पुनः अवैध कब्जा मिलने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। साथ ही राजस्व कर्मियों से साठगांठ कर आरक्षित श्रेणी की जमीन कब्जाने में बेदखली कार्रवाई का आदेश होने के बावजूद कब्जेदारी बनाए रखने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। प्रभारी अधिकारी व